

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0-

123

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मो० सलीम,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी/सुपौल/पूर्णियाँ/कटिहार/सीतामढ़ी/शिवहर/ कैमुर (भभुआ)/
सासाराम (रोहतास)/ प० चम्पारण (बेतिया)/ औरंगाबाद /सहरसा ।

पटना, दिनांक :- 21-3-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-
मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-
पी० 2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1442 दिनांक-15.5.15 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत दी जाएगी ।

प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	मधुबनी	06	60000	श्रम अधीक्षक, मधुबनी के कार्यालय पत्रांक-184 दिनांक-14.3.16 के आलोक विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 04 तथा अनुसूचित जाति के 02 अर्थात् कुल 06 बंधुआ मजदूरों के लिए के लिए।
तदैव	सुपौल	01	10000	श्रम अधीक्षक, सुपौल के कार्यालय पत्रांक-48 दि. -14.3.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	पूर्णियाँ	02	20000	श्रम अधीक्षक, क०श्र० पूर्णियाँ के कार्यालय पत्रांक-99 दि.-01.03.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	कटिहार	05	50000	श्रम अधीक्षक, क०श्र० कटिहार के पत्रांक-84, 89 एवं 91 क्रमशः दि. -04.03.16, 11.03.16 एवं 16.03.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 03 तथा दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	सीतामढ़ी	07	70000	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के कार्यालय ज्ञापांक-298 दि.-15.03.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 07 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	शिवहर	01	10000	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के कार्यालय ज्ञापांक-298 दि.-15.03.16 के आलांक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	कैमुर (भभुआ)	01	10000	श्रम अधीक्षक, कैमुर(भभुआ)के कार्यालय पत्रांक-232 दि.-12.03.16 के आलोक में लुधियाना (पंजाब) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।

तदैव	सासाराम (रोहतास)	07	70000	श्रम अधीक्षक, डालमियानगर (रोहतास) के पत्रांक-218 दि.-12.03.16 के आलोक में बेल्लारी (कर्नाटक) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 07 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	प० चम्पारण (बेतिया)	04	40000	सहायक श्रमायुक्त, प० चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक-97 दि.-15.03.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	औरंगाबाद	01	10000	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद के कार्यालय पत्रांक-223 दि.-15.03.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	सहरसा	01	10000	श्रम अधीक्षक, सहरसा के कार्यालय पत्रांक-115 दि.-16.03.16 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
कुल योग		36	360000	-

कुल आवंटित राशि रूपये 3,60,000 /-(रूपये तीन लाख साठ हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.6.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.4.98 के आलोक में है।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
5. अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित राशि समाप्त होने के कारण सामान्य जाति के लिए उपबंधित राशि में से अनुसूचित जाति के कुल 14 बंधुआ मजदूरों को लाभांवित करने हेतु राशि आवंटित की जा रही है।

विश्वाम्भाजन,

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

18/3/16

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0-

123

पटना, दिनांक 21-3-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

18/3/16

ज्ञापांक- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0

123

पटना, दिनांक 21-3-16

• स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त(शोध) एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को उनके गै०सं०प्रे०सं०-106 दि.-17.3.16, 100 एवं 99 दि.-16.03.16, 98 एवं 97 दि.-15.03.16, तथा 96 दि.-11.03.16 के आलोक में /प्रशाखा-06, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संभारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।